

97)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004-99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2009/फाल्गुन 15, 1930

No. 409]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2009/PHALGUNA 15, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2009

का.आ. 630(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग विकास और विनियमन, अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2009 कहा जाए।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 93 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“94. मैसर्स अकुला बोर्ड्स लिमिटेड, मंडापाका, टनुकु मंडल, जिला वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश राज्य”।

[फा. सं. 4(18)/2008-कागज]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का. आ. 1105 (अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी, 2009 के आदेश सं. का.आ. 118(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

896 GI/2009

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 2009

S.O. 630(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order 2004, namely :—

- (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2009.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 93 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“94. M/s. Akula Boards Limited, Mandapaka, Tanuku Mandal, West Godavari District in the State of Andhra Pradesh.”

[F. No. 4(18)/2008-Paper]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended vide Order No. S.O. No. 118(E) dated 12th January, 2009 published in the Gazette of India.